राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय,राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः– प.र. रिपोर्ट 7(2)विविध / अभि / 2015 / 8215 दिनांकः– 30.6.15

—:बिड सूचना :—

अभियोजन विभाग के अधीन विभिन्न जिला मुख्यालयों पर स्थित 35 सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर में ई–लाईब्रेरी के अंतर्गत निम्नानुसार सोफटवेयर क्रय एवं स्थापित करवाये जाने के लिए पंजीकृत / अधिकृत फर्मो / कंपनियों से दिनांक 14.07.2015 को सायं 4.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद तकनीकी एवं वित्तीय बिड आमंत्रित की जाती है:–

क्र.सं.	सोफवेयर क्रय एवं स्थापन का विवरण	अनुमानित राशि(रूपये)	बोली प्रतिभूति राशि(रूपये)	बिड प्रपत्र शुल्क (रूपये)	बिड प्रपत्र बिक्री की अंतिम तिथि	बिड प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	डिजिटल क्रिमीनल लॉ / एक्ट / रूल्स / सर्कुलर / उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयो के निर्णयों से संबंधित सोफटवेयर	3,50,000 /	7000 /	200 /	14.07.2015 को 1.00 बजे तक	14.07.2015 को 4.00 बजे तक	45 दिवस

तकनीकी बिड दिनांक 15.07.2015 को सायं 2.00 बजे उपस्थित बिडदाताओं के समक्ष विभागीय उपापन समिति के द्वारा खोली जावेगी। तकनीकी बिड में सफल होने वाले बिडदाताओं की वित्तीय बिड दिनांक 15.07.2015 को सायं 4.00 बजे विभागीय उपापन समिति द्वारा खोली जावेगी। बिड प्रपत्र एवं शर्ते निर्धारित शुल्क जमा करवा कर इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा इस कार्यालय की वेबसाईट www.prosecution.rajasthan.gov.in एवं राज्य सरकार के लोक उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड की जा सकती है।

30/6/15

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

निबंधन एवं शर्तेः–

1. बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत राशि के बिना प्राप्त बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। बोली प्रतिभूति की राशि नकद में इस कार्यालय में जमा करवाकर रसीद की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
2. बिड प्रपत्र ,बिड सूचना से सम्बन्धित नियम, शर्ते सम्बन्धी दस्तावेज निर्धारित बिड शुल्क नकद में जमा करवाकर, निदेशक, अभियोजन विभाग, कमरा नम्बर 7226 ,फुड बिल्डींग, सचिवालय जयपुर से किसी भी कार्य दिवस में, कार्यालय समय में दिनांकः–14.07.2015 को 1.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है या वेबसाईट www.prosecution.rajasthan.gov.in एवं राज्य सरकार के लोक उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये बिड प्रपत्र का निर्धारित शुल्क 200/– रूपये बिडदाता द्वारा पृथक से नकद में , निदेशक अभियोजन विभाग राजस्थान जयपुर के कार्यालय में जमा करवाना होगा । बिड निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार की जायेगी।
3. बिड सीलबन्द लिफाफे में जिसके उपर संबधित बिड का विवरण अंकित हो, निदेशक अभियोजन विभाग राजस्थान जयपुर के कार्यालय में दिनांक 14.7.2015 को अपरान्ह 4.00 बजे तक पहुॅच जानी चाहिए। प्राप्त तकनीकी बिड दिनांक 15.07.2015 को सायं 2.00 बजे तथा वित्तीय बिड उसी दिन सायं 4.00 बजे उपस्थित बिडदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उपनिदेशक ,अभियोजन विभाग राजस्थान जयपुर के फूड बिल्डींग सचिवालय जयपुर के कार्यालय में विभागीय उपापन समिति द्वारा खोली जावेगी।
4. बिड के साथ में सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण–पत्र के साथ दिनांक 31.03.2015 तक सर्विस टैक्स चुकता प्रमाण पत्र तथा आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. सरकार न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार किये जाने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी बिड को या उसके किसी भाग को बिना कोई कारण बताये रदद् कर सकेगी।
7. कुटीर तथा लघु उद्योग इकाईयों के लिएः–

(i) बिड प्रपत्र शुल्क निर्धारित राशि के 50 प्रतिशत कीमत पर दिया जावेगा।

(ii) बोली प्रतिभूति राजस्थान के लधु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा की 0.5 प्रतिशत होगी और लधु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित पुननिमार्ण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी।

(iii) बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट के लिये आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर एवं लघु उद्योग विभाग उन मदों के सम्बन्ध में जिसके लिये वे इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, सामान का कय (राजस्थान के उद्योग के अधिमान) नियम 1995 के नियम–8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित (जीएफ एण्ड ए आर) विभाग के आदेश कमांक प 1(1)वित/सा.नि. ले.नि./2007दिनांक 19.10.2010 परिपत्र संख्या 24/2010 में वर्णित है के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देय नहीं होगी।

8. बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपकमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपकम और कम्पनियों से ली जायेगी।

9. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम लागू होगें। इसके साथ ही राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 प्रभावशील है। जो उक्त बिड पर प्रभावशील होगे।

10. संबंधित बिडदाता को यह शपथ पत्र देना होगा कि जो सोफटवेयर दिया है वह उसी के द्वारा विकसित किया गया है तथा इस कार्य में उसे विशेषज्ञता प्राप्त है।

11. तकनीकी निविदा मे सफल निविदादातायो को उसी दिन सोफटवेयर का डेमो उपापन समिति के समक्ष देना होगा।

12. डिजिटल किमीनल लॉ/एक्ट/रुल्स/सर्कुलर/उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयो के निर्णय से संबंधित सोफटवेयर सफल बिडदाता को कार्य आदेश से 45 दिवस की अवधि में इस विभाग में जिला मुख्यालयों पर स्थित 35 सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में स्थित कम्प्युटर में उक्त सोफटवेयर स्थापित कर संबंधित कार्यालय के स्टाफ को परिचालन संबंधी प्रशिक्षण प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा देना होगा। इसके लिये अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

दिनांकः–

बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील

तकनीकी बिड प्रपत्र

प्रपत्र जमा कराने की अन्तिम तिथिः–14.07.2015

समयः– मध्याह्न पश्चात् 4.00बजे तक — हस्ताक्षर

बिड प्रपत्र शुल्कः–200/– — उप निदेशक अभियोजन(मु.)

अभियोजन विभाग राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय अभियोजन विभाग राजस्थान जयपुर

फूड बिल्डिग सचिवालय जयपुर राजस्थान

विभाग में वित्तीय वर्ष 2015–16 में ई–लाईब्रेरी के अंतर्गत डिजिटल क्रिमीनल लॉ/एक्ट/रूल्स/सर्कुलर/उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयो के निर्णयों से संबंधित सोफटवेयर के क्रय एवं स्थापन के लिए दर अनुबंध हेतु बिड प्रपत्र का प्रारूपः–

1. बिड प्रपत्र संख्याः–... ।
2. बिड सूचना संख्याः–8215 दिनांक 30.06.2015
3. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम,डाक का पता व मोबाईल नम्बर...
   ....
   ....
   ....
4. वास्तेः–.निदेशक,अभियोजन विभाग राजस्थान जयपुर
5. बिड शुल्क–200/–रूपये नकद रसीद संख्या........ दिनांक..............के द्वारा जमा करवा दी गई है। जिसकी रसीद संलग्न है।
6. हम निदेशक, अभियोजन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी की गई बिड सूंचना संख्या 8215 दिनांक 30.06.2015 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न प्रपत्र में दी गई उक्त बिड सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है।)
7. बिड द्वि–प्रकमी बोली के रूप में आमंत्रित की गयी है। बोली दाता की तकनीकी क्षमता हेतु निम्न दस्तावेंजों की स्वतः द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न कर तकनीकी बिड लिफाफा में रख दी गई है।

(1)तकनीकि बिड प्रपत्र भरा हुआ व हस्ताक्षरित।

(2)एनेक्सर–ए हस्ताक्षरित।

(3)एनेक्सर–बी हस्ताक्षरित।

(4)एनेक्सर–सी हस्ताक्षरित।

(5)एनेक्सर–डी हस्ताक्षरित।

(6)एनेक्सर–ई हस्ताक्षरित।

(7)एनेक्सर–एफ हस्ताक्षरित।

(8)एनेक्सर–जी हस्ताक्षरित।

8. बोली प्रतिभूति राशि ₹ 7000/– उप निदेशक अभियोजन विभाग राजस्थान जयपुर के कार्यालय मे नकद अथवा बैंक ड्राफट के द्वारा जमा करा दी गयी है। (संलग्न नकद की रसीद अथवा बैंक ड्राफट की प्रति)
9. आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
10. जिस सामान की कीमत पर वैट/सर्विस टैक्स अलग से देय है उसका स्पष्ट उल्लेख दरों में कर दिया गया हैं। जिस सामान की दरें वैट/सर्विस टैक्स सहित है उसका स्पष्ट उल्लेख दरों के साथ कर दिया गया हैं।
11. वित्तीय बिड प्रपत्र(एनेक्सर ई) को अलग से वित्तीय बिड के लिफाफे में बन्द किया गया है।
12. कय आदेश दिये जाने की दिनांक से 45 दिवस की अवधि के भीतर फर्म द्वारा डिजिटल किमीनल लॉ/एक्ट/रूल्स/सर्कुलर/उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयो के निर्णयों से संबंधित सोफटवेयर इन्स्टाल कर दिया जायेगा। उक्त कार्य सोफटवेयर का इन्सटालेशन, परिचालन प्रशिक्षण व अन्य सामग्री सीडी/डीवीडी सुपुर्दगी समय–समय पर दिये गये आदेशानुसार निर्धारित समय में की जावेगी।
13. मुख्य लिफाफे में रखे जाने वाले वित्तीय बिड के लिफाफे में एनेक्सर–ई के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नही किया गया है एवं केवल दरें स्पष्ट रूप से अंकित की गई हैं। कोई कटिंग नही है/ कटिंग को पूर्ण हस्ताक्षर करके प्रमाणित कर दिया गया है।
14. बिड प्रपत्र में अंकित शर्तो के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई शर्त अंकित नही की गई है।
15. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र की संलग्न है। (सलग्न–एनेक्सर एफ)
16. एनेक्सर–ई में मूल दर प्रति नग, वैट कर प्रति नग एवं कुल राशि प्रति नग को निर्धानित कॉलम में पृथक–पृथक स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।
17. तकनीकी बिड को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य शर्तेः–
    1. निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि।

2. बिड प्रपत्र वेबसाईट www.prosecution.rajasthan.gov.in एवं राज्य सरकार के लोक उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउन लोड किये जाने पर बिड के साथ बिड प्रपत्र शुल्क रू. 200/–नकद कार्यालय में जमा करा कर रसीद संलग्न करे।
3. बिड के साथ में दिनांक 31.03.2015.तक सर्विस टैक्स चुकता प्रमाण–पत्र।
4. सर्विस कर पंजीयन संख्या का प्रमाण–पत्र स्वयं द्वारा प्रमाणित।
5. आयकर विभाग द्वारा पैन नम्बर प्रमाणित प्रति।
6. तकनीकि बिड प्रपत्र भरा हुआ तथा सम्बधित सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित किये होने चाहिये।
7. राजकीय कार्यालयों में डिजिटल किमीनल लॉ/एक्ट/रूल्स/सर्कुलर/उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के निर्णयों से संबंधित सोफवेयर इस्टाल करने का न्यनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र।

18. तकनिकी बिड खोलने पर बिडदाता फर्म को सोफवेयर की विषय वस्तु डिजिटल किमीनल लॉ/एक्ट/रूल्स/सर्कुलर/उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के निर्णयों से संबंधित सोफटवेयर के स्थापन/इन्स्टालेशन के सम्बन्ध में डेमों प्रस्तुत करने के लिये सहमत है।

19. सोफटवेयर मे उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के निर्णयों की संख्या इस प्रकार होगी :–

क्र.सं	विवरण	संख्या
1.	उच्चतम न्यायालय (प्रारंभ से अब तक)	
2.	उच्च न्यायालय (प्रारंभ से अब तक)	

बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील

1.बिडदाता का नामः–

2. डाक का पताः–

3.टेलीफोन नं.(दुकान)................(घर)................जयपुर,

दिनांकः– ....

बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील

एनेक्सर "ई"

राजस्थान सरकार

निदेशालय अभियोजन राजस्थान जयपुर

फुडबिल्डींग सचिवालय जयपुर।

वित्तीय बिड प्रपत्र

विभाग में वित्तीय वर्ष 2015–16 में ई –लाईब्रेरी क्रिमीनल लॉ/एक्ट/रूल्स/सर्कुलर/उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के निर्णयों से संबंधित सोफवेयर के कय एवं स्थापन के लिए दर अनुबंध हेतु बिड प्रपत्र का विवरण :–

1. बिड प्रपत्र संख्या:–.. ।
2. बिड सूचना संख्या:– 8215 दिनांक 30-6-2015
3. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम,डाक का पता व मोबाईल नम्बर...
4. वास्ते:–...................................निदेशक,अभियोजन विभाग राजस्थान जयपुर।
5. बिड शुल्क–200/–रूपये नकद रसीद संख्या....... एवं दिनांक.............के द्वारा जमा करवा दी गई है। जिसकी रसीद संलग्न
6. सोफटवेयर कय एवं स्थापन की दर निम्नानुसार दी जाती है:–

s.no.	Particulers of software	Purchases cost of software with instalations	
		One time cost(in Rs.)	Renewal cost(in Rs.)
1-	Criminal law/Act/rules/circuler/Judgement of supreme court & high court		

6. डिजिटल क्रिमीनल लॉ/एक्ट/रूल्स/सर्कुलर/उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के निर्णयों से संबंधित सोफवेयर के कय एवं स्थापन की दरें सीडी,डीवीडी मय इस्टालेशन एवं परिचालन प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) सहित होगी। विभाग द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

संलग्न:– बिड की शर्ते

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc I

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date: Signature of bidder

Place: Name :

Designation:

Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Director Prosecution

The designation and address of the Second Appellate Authority is ________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. I
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Doc I

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

दिनांकः–

बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील

एनेक्सर "एफ"

बिडदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए बिड दी हैं,उनका/मै/हम बोनाफाईड/थोक विक्रेता/सोल विवरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सेलिंग/विपणन एजेण्ट/सेवाप्रदाता है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई जो कि जा सकती है,पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील

बिडदाता का नाम

पूर्ण पताः–

टेलिफोन न0(निवास)

(कार्यालय)

एनेक्सर ''जी''

खुली बिड के लिए बिड एवं संविदा की शर्ते

टिप्पणी:– बिडदाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बिड भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. बिडों को बिड सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. **वास्तविक डीलरों द्वारा बिड:–** बिड मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः एनेक्सर एफ (एस.आर. प्रारूप 11) में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगें।
3. (1)फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।
   (2)संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारी के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जबतक वह इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति(डिस्चार्ज)होगी।
4. बिक्री कर पंजीयन एवं चुकती प्रमाण पत्र कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहॉ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बिड नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित सकिल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर चूकती प्रमाण--पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिसके बिना बिड को रद्द कर दिया जाएगा।
5. बिड प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गई किसी भी बिड पर विचार नहीं किया जायेगा। बिडदाता बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बिड के समस्त निबंधनों एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
6. दर शब्दों एवं अंको दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियों एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियॉं करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लधुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक में दिखाना चाहिए।
7. दरें गन्तव्य स्थान पर एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु चुंगी,केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाड़ी भाड़े(कॉटेज)या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वालें माल कार्यालयों के उपयोग के लिए होते है, इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए।यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए है, तो इन

दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।

8. राजस्थान की और बाहर की फर्मो की दरों की तुलना:–उन फर्मो की बोलियों का सारणीकरण करते समय जो कीमत अधिमान की हकदार नहीं है,मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए राजस्थान की फर्मो द्वारा कोट की गयी दरों से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर का तत्व अपवर्जित कर दिया जायेगा और राजस्थान से बाहर की फर्मो की दरों में केन्द्रीय विक्रय कर का तत्व सम्मिलित किया जायेगा।

9. मूल्यांकन में कीमत/क्रय अधिमान:–बोलियों के मूल्यांकन और संविदा के अधिनिर्णय में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और बोली दस्तावेजों में यथा–वर्णित कीमत और/या क्रय अधिमान पर विचार किया जायेगा।

10. **विधिमान्यता**–बिड उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमानय होगी। आपवादिक परिस्थितियों में आपसी सहमति से इस अवधि को बढ़ाय जा सकेगा।

11. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तो, विनिर्देशों, आकार में एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर जी है। यदि उसे इन शर्तो, विनिर्देशों, रेखाचित्र आदि के किसी भग के आशय के बारे में कोई सन्देंह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।

13. **विनिर्देश**:–

(i) प्रदाय की गई सभी वस्तुऍ बिड में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमाक के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहॉ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हो, वहॉ उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए। प्रदाय की गई वस्तु नवीनतम पैकिंग की होनी चाहिये। यदि किसी वस्तु के साथ कम्पनी द्वारा कोई फ्री आईटम दिया जा रहा है तो वह आईटम भी वस्तु के साथ देना होगा।

(ii) तारा चिन्ह् से अंकित/क्रम संख्या...... पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय,अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामलें में जहॉ कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हो वहॉ अत्युत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस सम्बन्ध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुऍ विनिर्देशों के अनुरूप है, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अन्तिम एवं बिडदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

(iii) वारंटी/गारंटी खण्ड–बिडदाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुऍ खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि तक तथा विनिर्दिष्ट विवरण एव गुणवता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद की क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि......दिनों/माहों की उक्त मालो/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए है (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा)तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया जाए,रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुऍ विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होंगे। बिडदाता यदि उसे ऐसा करने

के लिए कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके भग को जिसे केता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है,बदल देगा,अन्यथा बिडदाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसने दी गई शर्त के उल्लंधन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में केता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(iv) मशीनों एवं उपकरणों के मामलें में भी ,उक्त खण्ड (iii)में उल्लेखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा बिडदाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जो। यदि कोई हो,को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए,ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। बिडदाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में थी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएँ कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता है।

(v) केता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामलें में बिडदाता ऐसे निबंधनों और शर्तो पर जो उनके बीच स्वीकार की जाएँ,वार्षिक रख–रखाव(मेंटीनेंस) एवं मरम्मत के लिए उत्तरदायी होगा। बिडदाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्टस एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिए भी,चाहे वार्षिक रखरखव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा।मॉडल में परिवर्तन के मामले में,वह केता अध्किारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्टस खरीद सकेगा।

14. **निरीक्षणः–**

(क) केता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि,सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रकिया के दौरान या उसके बाद,जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों मशीनों की सामग्री एवं कर्म कौशल का निरीक्षण एवं जॉच करने की शक्ति होगी।

(ख) बिडदाता अपने कार्यलय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का,जहॉ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता उस व्यक्ति का नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पक करना होगा। उन डीलरों के मामलें में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए है, अपने बैकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुतकरन आवश्यक होगा।

15. **नमूनेः–** अनुसूची में अंकित वस्तुओ की बिडओं के साथ उचित रूप से पैक की गई निविदत वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किये जाएगे।ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएं तो कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जाएंगी।यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते है, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी.आर एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग/खाद्य पदार्थो के नमूने प्लाटिक बॉक्स/पोलीथीन के थैलों में बिडदाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।

16. प्रत्येक नमूने पर उस पर या उस पर मजबूती से चिपका यी गई किसी मजबूत कागज की पर्ची पर बिडदाता का नाम, मद की कम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है,आदि लिखे जाऐंगे।

17. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण,जॉच आदि के दौरान किसी भी नुकसान,टूट–फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित अवधि की समाप्ती पर बिडदाता द्वारा नमूने को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं

करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किए जाते है तो इन्हें सरकार द्वारा समपह्रत, जब्त कर लिया जाएगा। तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम नहीं किया जाएगा।

18. असफल बिडदाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इक्ट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण,जॉच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट–फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नही लिए जाएंगे उन्हें समपह्रत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वह विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहॉं आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो तो वहॉं परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस,नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा जहॉं पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा,उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

20. **नमूने निकालना**:– परीक्षणों के मामलों में बिडदाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा,एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एव अभिलेख के लिए कार्यलय में प्रतिधारित किया जाएगा।

21. **परीक्षण प्रभार**:– परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगें। यदि बिडदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार बिडदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

22. **रद्द करना**:–

    (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुऍं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा बिडदाता द्वारा उन्हें केता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

    (ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण,उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य(मिंपइसम) नहीं समझा जाए, तो केता अधिकारी बिडदाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर,ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगं,अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

23. रद्द की गई वस्तुओं को बिडदाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद केता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथ उसे बिडदाता की जाखिम पर उसके मद्दे उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

24. बिडदाता उचित पैकिग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र,रेल,सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान,टूट–फूट या रिसाव(लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में बिडदाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की

जॉच/निरीक्षण किए जोने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।

25. प्रदाय हेतु संविदा को,यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो बिडदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत(रेपूडीयट)कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

26. बिडदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता(डिसकुआलीफीकेशन)होगी।

27. **सुपुर्दगी अवधिः–** बिडदाता, जिसकी बिड स्वीकार की जाए, उसके द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 45 दिवस की अवधि के भीतर सोफटवेयर का स्थापन करना होगा।

28. डिजिटल क्रिमीनल लॉ/एक्ट/रूल्स/सर्कुलर/उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयो के निर्णयों से संबंधित सोफटवेयर की क्रय राशि अनुमानित है। अनुबन्ध अवधि के दौरान क्रय सामग्री की कुल क्रय अनुमानित कीमत से कम/अधिक हो सकती है। जो क्रय राज. लोक.उपापन में पारदर्शिता नियम–2013के उपनियम 73 के अनुसरण में निम्नानुसार होगीः–

   1. यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिणाम से कम उपाप्त करती है तो बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय , किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
   2. अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण हाने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगीः–
      (क) संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मादों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत,और
      (ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।
   3. यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या बिड प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो बिडदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

29. **बोली प्रतिभूतिः–**

   1. बोली प्रतिभूति दस हजार रूपये तक के मूल्य वाले छोटे उपापन और धारा 30 की उप–धारा (1)के खण्ड (ख)और (ग,के अधीन सीमित बोली,कोटेशन के लिए अनुरोध मौके पर क्रय एकल स्रोत उपापन और प्रतियोगी बातचीत की पद्धतियों द्वारा उपापन के मामले में नहीं जी जावेगी।
   2. खुली प्रतियोगी बोली, द्वि–प्रक्रमी बोली, दर संविदा,इलेक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के मामले में बोली प्रतिभूती बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मुल्य का 2 प्रतिशत होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्र का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों से विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले से यदि छूटप्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी।

3. बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपकमों,निगमों स्वायत निकायों रजिस्ट्रीकृत सोसायटियों सहकारी सोसायटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

4. बोली प्रतिभूति लिखित या बोली प्रतिभूति की नकद रसीद या बोली प्रतिभूति करने की धोषणा आवश्यक रूप से मुहरबंद बोली के साथ होगी।

5. उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतिक्षित विनिश्चय के संबंध रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेगी। तथापि मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।

6. बोली प्रतिभूति नकद/ ड्राफ्ट /सरकारी विभागों की दशा में ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति की मूल बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए।

7. बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति का निर्गामी और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो के साथ ही बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला , यदि काई हो के साथ ही बोली प्रतिभूति का प्रारूप और निबंधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में बोली दस्तावेजों में यह भी नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति भारत में किसी निर्गामी द्वारा जारी की जायेगी।

8. यह अपेक्षित होतो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व बोली लगाने वाला बोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गामी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता को पुष्ट करने के लिए उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसी अनुरोध का तत्परता से प्रत्युत्तर देगी।

9. बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारन्टी की संबंधित जारी करने वाले बैक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को स्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या यथास्थिति पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया या अन्यथा उधार के लिए पात्र नहीं रह गया है।

10. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति करने के शीध्र पश्चात कर दिया जायेगा।

11. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर दी जायेगी,अर्थातः–
   (क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात अपनी बोली प्रत्याह्रत या उपन्तरित करता है।
   (ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय /संकर्म आदेश देने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।
   (ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

(घ)जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(ड)यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

12. सफल बोली लगाने वाले की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

13. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी अर्थात

(क) बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर

(ख) सफल बाली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिए करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर

(ग) उपापन प्रकिया के रद्दकरण पर, या

(घ) बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय–सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर जब तक कि बाली दस्तावेजों में यह अनुबंध हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

30. **कार्य सम्पादन प्रतिभूतिः–**

1) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अर्भ्यथना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसायटियों सहकारी सोसायटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों ने की जायेगी। तथापि उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामल में प्रदाय आदेश की रकम की पॉच प्रतिशत या जैसी कि बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट की जाये, होगी और संकर्मो के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम की दस प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिणाम की रकम की एक प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के समक्ष लम्बित है के मामले में यह प्रदाय आदेश की रकम का दो प्रतिशत होगी।

3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित स्वरूपों, में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगीः–

(क) ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्ते बोली प्रतिभूति के लि नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।

(ड़) किसी अनुसूचित बैक की नियत जमा रसीद(एफडीआर) यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करके के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की और से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्ण संदाय करने का वचन देता है कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज साथ समपहृत कर ली जायेगी।

4) उप–नियम (3)के खण्ड (ख)से (ड़)के प्ररूप विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बाली लगाने वाले समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

31. **करार का निष्पादनः–**

(1) कोई उपापन संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी जिसको स्वीकृति पत्र आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहां बोली दस्तावेज में कोई कालावधि विनिर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर,जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृत पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है,विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था सफल बोली लगाने वाले के कि विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मालों में उपापन प्रकिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार,न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(4) बोली लगाने वाले को, उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

32. बाली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट के लिये आयुक्त,अद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर एवं लघु उद्योग विभाग उन मदों के सम्बन्ध में जिसके लिये वें इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, सामान का कय (राजस्थान के उद्योग के अधिमान) नियम 1995 के नियम–8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त(जीएफएण्ड एआर)विभाग के आदेश कमांकःप1(1)वित्त/सा.नि.लेनि./2007 दिनांक 10.10.2010 परिपत्र संख्या 24/2010 में वर्णित है के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बोली प्रतिभूति/कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देय नहीं होगी।

33. **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः–** प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तो का उल्लधंन किया गया हो।

(ख) जब बिडदाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

34. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बिडदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत निःशुल्क दी जाएगी।

35. विक्रेता समस्त माल रेल्वे या गुडस् ट्रॉसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी। यदि केता आधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। भुगतान करने पर किए गए प्रेक्षण प्रभार बिडदाता द्वारा वहन किए जाएगें।

36. **बीमाः—** समान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएगें। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान की चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे—युद्ध विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बिडदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते है तो राज्य में इन प्रभारों कस भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यदि केता द्वारा चाहा गया हो तो केता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाएगा।

37. **भुगतानः—**

(i) दुर्लभ एव विशिष्ठ मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुडस् ट्रॉस्पोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गई सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो,किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि,यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और बिडदाता को नहीं दिए गए उस आशय के प्रमाण—पत्र पर दिए जाने पर दिया जाएगा।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए,सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बिडदाता द्वारा केता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बिडदाता द्वारा वहन किए जाएगें।

(iii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iv) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है,भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

38. (1) बिड प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बिडदाता केता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा। (2) **परिसमापित नुकसानीः—** परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में,वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बिडदाता प्रदाय करने में असफल रहा है:— (इस संबंध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अंकित की गई शर्ते ही लागू होगी।)

(i) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5 प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7 प्रतिशत

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10प्रतिशत

(ii) प्रदाय में बिलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भग को छोड़ दिया जाएगा।

(iii)परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(iv)यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाध के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(v) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बिडदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

39. **वसूलियोंः–** परिसमापित नुकसानी,कम प्रदाय, टूट–फूट रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि, विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

40. बिडदाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

41. यदि विडदाता ऐसी शर्ते आरोपित करता हे जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बिड को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही क र रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बिड स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप र उल्लेखित न किया गया हों।

42. क्रेता अधिकारी किसी भी बिड को जो आवश्य रूप से न्यूनतम दर की बिड नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बिड को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बिडदाता ने बिड दी है,उन सब के लिए या किसी एक या आधिक के लिए बिड को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों क विपरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

43. बिडदाता करार को निष्पादित रिते निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तु करेंगाः–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख(पार्टनरशिप डीड)की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फ र्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर ।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

44. यदि संविदा के निर्वचन(इन्टरप्रीटेशन),आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंधन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उपअधिकारी की नियुक्ती करेगा। ये उस अधिकारी इस संविदा से सबंद्व नहीं होगा, तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

45. समस्त विधिक कार्यवाहियों,यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार(सरकार या ठेकेदार)द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी,अन्यत्र नहीं की जाएंगी ।

46. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 के प्रावधान लागू होंगे।

47. बिड मोहरबन्द लिफाफे में उचित प्रकार से भरी हुई प्रस्तुत करनी होगी जिसे पर फोटो स्टेट कार्य हेतु बिड अंकित किया जावेगा।

48. बिड़ प्रपत्र 200/ रूपये नकद जमा करवाकर अभियोजन विभाग, फुड बिल्डींग, सचिवालय जयपुर के केशियर से कमरा नम्बर 7226 में कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालय की वेबसाईट www.prosecution.rajasthan.gov.in एवं राज्य सरकार के लोक उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड की जा सकती है।

49. बिड फार्म में कोई कॉट–छॉट मान्य नहीं होगी। कॉट–छॉट पर बिडदाता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

50. अनुबन्ध की दरें अनुबन्ध तिथि से एवं वर्ष तक प्रभावी होगी। बशर्ते कार्य संतोषजनक हो। उक्त अवधि में दोनो पक्षों की सहमति से कमी बेशी की जा सकेगी।

51. सफल बिडदाता को 500/ के स्टाम्प पेपर पर करार पत्र निष्पादित करना होगा।

52. बिडदाता को विभाग के कम्प्युटर/लेपटॉप में सोफटवेयर इन्सटाल करना होगा तथा किसी प्रकार की खराबी आने पर तत्काल सही करना होगा ताकि कार्यालय की व्यवस्था सुचारू रूप चल सके।

53. बिडदाता के द्वारा सोफटवेयर से सम्बन्धित अनुरक्षण की व्यवस्था फर्म को स्वयं को करनी होगी।

54. बिड में आमंत्रित दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी, दरों को आपसी सहमति से साथ 3–3 माह के लिए दो बार बढ़ाई जा सकेगी।

55. राज.लोक.उपापन में पारदर्शिता निमय–2013 के उपनियम–29(ज)के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें,कीमत गिरने के खण्ड अध्यधीन होंगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा कियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मो या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मो को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म,दर संविदा के चालू करने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो और मूल दर संविदा धारक फर्म को आपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

56. विशेष परिस्थितियों में राज.लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम–74 के अनुसार कार्य fair,transparent & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा।
57. बोली दस्तावेजों में परिवर्तनः–बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय–सीमा से पूर्व किसी भी समय, उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणामस्वरूप, धारा 23 के उपबंधो के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपान्तरित कर सकेगी।
58. प्रस्तुत बिलों में नियमानुसार आयकर कटौति की जावेगी। जिसके लिये बिडदाता को अपना पैन नं. विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
59. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी निदेशक,अभियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर होगे।
60. बिडदाता की अलग से कोई शर्ते मान्य नहीं होगी।

बिडदाता के हस्ताक्षर